RTIMATTER/SPEED POST

सं. 25(52)/2015/RTI/16

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर

ISO प्रमाणित संस्थान 2008-9001

उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ,

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

भारत सरकार

फोन: 0512-2570542, 543
फैक्स: 0512-2570247
ई-मेल: nsikanpur@nic.in

दि. 05.06.2015

सेवा में,

श्री विष्णु मोहन,
ग्राम-जजमुइया,
पो.-बनीपारा, कानपुर देहात।

विषय- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने के संबंध में।

महोदय,

आपके पत्र दि. 14.05.2015 के संदर्भ में सूचित करना है कि आपके द्वारा उपरोक्त पत्र द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में जांच चल रही है तथा अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। जाँच से संबंधित अधिकारियों का ब्यौरा जाँच के इस चरण में नहीं दिया जा सकता। उपरोक्त के मद्देनजर आपके द्वारा उठाये गये मुद्दे पर निर्णय दूसरी जांच एजेंसियों से प्राप्त होनेवाली आख्याओं पर निर्भर रहेगी। यह सूचना देने का निर्णय जांच पूरी होने के उपरांत ही लिया जा पायेगा।

अतः जहां तक जांच की अंतर्वस्तु का संबंध है यह जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-8(1) (ई), (एच) तथा (जे) के तहत देने में छूट है।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप दी गई उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में आप इस पत्र को जारी करने की तिथि से 30 दिन के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी को निम्न पते पर अपील कर सकते हैं-

श्री नरेन्द्र मोहन,
निदेशक एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, भारत सरकार,
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, कानपुर - 208017

भवदीय,

5/6/15

(राकेश शुक्ला)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं
केंद्रीय जनसूचना अधिकारी

Beti

सूचना अधिकार के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु
आवेदन पत्र का प्रस्तावित प्रारूप

CPIO नरेन्द्र 15/5/15

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी/~~सहायक जन~~ सूचना अधिकारी महोदय

जहाँ से सूचना प्राप्त करनी हो कार्यालय/विभाग का नाम राष्ट्रीय शर्करा

पूरा पता : संस्थान कानपुर

आवेदक का नाम : विष्णु मोहन

आवेदक का पता : ग्राम - जजमुईया पोस्ट - बनीपारा, कानपुर देहात

फोन/फैक्स/ई–मेल :

मांगी गयी सूचनाओं का बिन्दुवार विवरण

प्रार्थी द्वारा दि० 29/09/14 को नरेन्द्र देव पुत्र श्री राजाराम वर्मा जो कि आपके संस्थान में कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी (शर्करा प्रौद्योगिकी) के पद पर कार्यरत हैं के द्वारा धोखाधड़ी पूर्ण तरीके से आपके संस्थान में प्राप्त की गई नौकरी के सम्बन्ध में शिकायती प्रार्थना-पत्र दिया गया था जिसमें अब तक कृत कार्यवाही तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही से (मय जारी किये गये आदेश व सम्पूर्ण जाँच अधिकारी की प्रमाणित प्रतियाँ) अवगत करायें।

यदि सूचना किसी कार्यवाही से सम्बन्धित हो तो उसका माह एवं वर्ष अंकित करें।

सितम्बर - 2014

किसी एक को चिन्हित करें : ✓1. दस्तावेज की प्रतिलिपि चाहिए।

2. निरीक्षण करना है।

सूचना/जानकारी कैसे प्राप्त करना चाहेंगे स्वयं आकर अथवा डाक द्वारा यहां लिखें डाक द्वारा

यदि आवेदक BPL कार्ड धारक है अथवा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है तो उसे कोई भी शुल्क नहीं लगाना होगा। परन्तु BPL प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करनी होगी।

मैं सूचना प्राप्त करने हेतु शुल्क के 10 रुपये का बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर बैंकर्स पे आर्डर/ट्रेजरी चालान/नकद (एक को चिन्हित करें) को साथ में संलग्न कर रहा हूँ जिसका नं. 31F 801686 दिनांक 14/05/15 है। कृपया समयान्तर्गत सूचनायें उपलब्ध करने की कृपा करें।

संलग्नक :- दि० 29/09/2014 को प्रेषित शिकायती पत्र की छाया प्रति।

कृपया IPO प्राप्त कर रसीद जारी करें। 21/5/15

विष्णु मोहन 14/05/15
आवेदक के हस्ताक्षर

526
18/5/15

Deposited vide TR No 320991
Dt. 2.6.15 for Rs 10/- only

2/6

सेवा में,

दिनांक- 29|09|2014

निदेशक,
राष्ट्रीय शर्करा संस्था,
कानपुर।

विषयः- श्री नरेन्द्र देव पुत्र श्री राजाराम वर्मा वर्तमान में कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी (शर्करा प्रौद्योगिकी) के विषय में जांच हेतु।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि आप द्वारा प्रदत्त सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी दिनांकित 10-09-2014 जिसका पत्र संख्या 25(52)/आरटीआई/2014 वाल्यूम-1/84 के द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार श्री नरेन्द्र देव पुत्र श्री राजाराम वर्मा की नियुक्ति संस्था में दिनांक 13-3-1996 को तकनीकी सहायक (शर्करा प्रौद्योगिकी) के पद पर अनुसूचित जाति के रूप में हुई थी। तत्पश्चात वर्तमान में वह कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी (शर्करा प्रौद्योगिकी) के पद पर कार्यरत हैं। संलग्नक-1 जनसूचना अधिकारी अधिनियम 2005 द्वारा प्रदत्त सूचना।

यह कि कार्यालय तहसीलदार सदर उन्नाव द्वारा मेरे द्वारा मांगी गयी सूचना दिनांकित 19-8-2014 के सम्बन्ध में 03-09-2014 को अपने पत्र संख्या 401/जनसूचना-2014 द्वारा यह सूचना उपलब्ध करायी गयी कि ग्राम पंचायत परियर तहसील उन्नाव सदर जनपद उन्नाव में माझी/मझवार (अनुसूचित जाति) के कोई भी सदस्य निवास नही करते हैं एवं श्री राजाराम पुत्र श्री भोला तथा राजाराम के पुत्र श्री नरेन्द्र देव निवासी उपरोक्त वर्तमान पता 15, गंगानगर हाउसिंग सोसाइटी कानपुर नगर मल्लाह (जो कि पिछड़ी जाति के अन्तर्गत) आते हैं। संलग्नक-2 जनसूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत तहसीलदार सदर उन्नाव द्वारा दिनांक 3-9-2014 द्वारा प्रदत्त सूचना की फोटो कापी।

अतः माननीय महोदय से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त प्रकरण की जांच के उपरान्त श्री नरेन्द्र देव पुत्र श्री राजाराम वर्मा वर्तमान में कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी (शर्करा प्रौद्योगिकी) के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। उपरोक्त अधिकारी द्वारा अपनी जाति का विवरण छिपाते हुए दूसरी जाति में आरक्षण का लाभ लेकर विभिन्न अभ्यर्थियों के हितों का नुकसान किया है।

भवदीय,
विष्णु मोहन
(विष्णु मोहन)
ग्राम-जजमुईया, पोस्ट-बनीपारा,
कानपुर देहात।